

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था- 1/एम/05/08/116  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28-1-08

1. समस्त संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, संभाग .....
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला - .....

विषय:- राज्य के बाहर इलाज की अनुमति एवं चिकित्सा व्ययों की स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित करने बाबत ।

cccc

राज्य के बाहर अंतर्गत/बाहर उपचार के मामलों में वर्तमान प्रक्रिया अनुसार जिलों के प्रकरण अनुमति/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पश्चात् लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल/संचालक, लोक शिक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं ।

2/ प्रकरणों के त्वरित निराकरण की दृष्टि से उक्त प्रक्रिया में संशोधन कर जिला शिक्षा अधिकारी को अपने नियंत्रण के अधीन आने वाली समस्त संस्थाओं/कार्यालयों के अमले के लिए ऐसे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के लिए "नियन्त्रण अधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं ।

3/ अब जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे प्रकरणों को जिनमें समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन्हें सीधे संचालक, चिकित्सा सतपुड़ा भवन भोपाल को अनुमति/कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे ।

4/ संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल से उक्तानुसार अनुमति/कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर संयुक्त संचालक (बजट), लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल, से आवश्यक बंटन की मांग करेंगे । संयुक्त संचालक (बजट), लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल मांग प्राप्त होने के तीन-कार्य दिवस के भीतर बंटन जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे ।

5/ संयुक्त संचालक (बजट), लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को प्रकरणवार आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय ऐसे बजट बंटन आवंटित किये जाने के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं ।

*Mr*  
28/01/08.

आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28-1-08

पृष्ठांकमांक/स्था.1/एम/05/08/116

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्ष विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
6. समस्त कमिश्नर (राजस्त) मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
9. संयुक्त संचालक, वित्त (स्थानीय), वित्त अधिकारी (स्थानीय) लोक शिक्षण म.प्र.
10. वित्त कक्षा, स्था.-1/स्था.-2/स्था.-4/ स्थानीयक की ओर सूचनार्थ ।

*Mr*  
28/01/08.

आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश